



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्रदत्त / NAAC Accreditation 'A' Grade

क्रादर नवाज़ खान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव

Acting Registrar

दूरभाष क्र./Phone no.: 07152-230902

पत्रांक: 04/परी./विद्या-परिषद/2018/14/1427

दिनांक : 03 मार्च 2020

अधिसूचना

विद्या-परिषद की दिनांक 28.02.2020 को संपन्न 31वीं बैठक के मद संख्या 02 – सत्रांत परीक्षा देने हेतु न्यूनतम प्रश्न-पत्रों में उत्तीर्ण होने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया – “विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करने की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष तथा अधिष्ठाता की संस्तुति पर कुलपति द्वारा अगले सेमेस्टर में परीक्षा देने की अनुमति दी जाये। विद्यार्थी द्वारा परीक्षा न दे पाने/उपस्थित न हो पाने/उत्तीर्ण न होने के उचित कारण शपथ-पत्र पर प्रस्तुत किये जायेंगे। कारण गलत पाये जाने पर विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।”

उक्त निर्णय के अनुसरण में संबंधित विभाग द्वारा कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु परीक्षा विभाग अग्रेषित किया जायेगा।

क्रादर नवाज़
(क्रादर नवाज़ खान)

03/03/2020

प्रति सूचनार्थ-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. प्रति कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
4. संबंधित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्राध्यक्ष, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
5. अकादमिक संयोजक कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
6. कार्यालय प्रति।

लीला प्रगरी
कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें.
क्रादर नवाज़
03/03/2020